



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797]

नई दिल्ली, बुधस्पतिवार, जुलाई 28, 2005/श्रावण 6, 1927

No. 797]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2005/SRAVANA 6, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2005

का.आ. 1070(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के परन्तुक के खंड (iii) के अनुसरण में, भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 52(अ), तारीख 11 जनवरी, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा (ख) में, क्र.सं. (15) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(16) भारत के महा-सालिसिटर।”।

[फा. सं. आरटी-11028/9/2001-एमवीएल]

एस. के. मिश्रा, निदेशक (सड़क परिवहन)

टिप्पण— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 11 जनवरी, 2002 में अधिसूचना सं. का.आ. 52(अ), तारीख 11 जनवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2005

S.O. 1070(E).—In pursuance of clause (iii) of the proviso to rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 52(E) dated the 11th January, 2002, namely :—

In the said notification, in paragraph (b), after serial number (15) and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

“(16) Solicitor General of India.”.

[F.No. RT-11028/9/2001-MVL]

S. K. MISHRA, Director (Road Transport)

Footnote.— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11th January, 2002, vide notification number S. O. (E) 52 dated the 11th January, 2002.